कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश

उपस्थित : **श्री मृत्युंजय कुमार नारायण, कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।**
प्रार्थी : **सर्वश्री गोयल इन्टरप्राइजेज, 228, हापुड़ रोड, गाजियाबाद।**
प्रार्थना-पत्र : **403 / 08, दिनांक 05.11.2008**

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-31 के अन्तर्गत निर्णय

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र संख्या-403 / 08 पर पारित आदेश दिनांक 17.01.2014 में यह अंकित किया गया है कि केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-14 की उपधारा-(IV) पर अंकित आयरन एण्ड स्टील के क्रमांक-09 पर निम्न प्रविष्टि है :-

Tools; Alloy and Special steel of any of the above categories.

उक्त आधार पर यह निर्धारित किया गया कि उक्त प्रविष्टि से आच्छादित टूल्स पर 4% की दर से करदेयता है।

जॉचोपरान्त यह पाया गया कि उक्त प्रविष्टि त्रुटिपूर्ण अंकित हो गयी थी। केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-14 की उपधारा-(IV) पर अंकित आयरन स्टील के क्रमांक-09 पर निम्न प्रविष्टि है :-

tool, alloy and special steel of any of the above categories.

उक्त प्रविष्टि का अर्थ यह है कि इसमें tool, alloy तथा उपरोक्त क्लाजों में वर्णित स्पेशल स्टील्स को समाहित किया गया है। tool steel वह स्टील है जिससे Tools का निर्माण किया जाता है। tool alloy steel के सम्बन्ध में Department of Economic Affairs, Government of India द्वारा परिपत्र संख्या-4 (2) S.T. / 58 द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि '' Originally tool alloy steel is that steel, mixed with some other metals, from which tools are generally made. For instance, stainless steel, high speed steel, oil-hardening non-shrinking steel, carbon tool steel, chisel steel, high-carbon high chromium steel, chromium steel, oil steel, W.P.S. steel, spring steel, etc. are all tool alloy steel. ''

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त क्लास में tool शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह निर्मित tool के लिए नहीं है अपितु यह Tool Steel के लिए प्रयोग किया गया है जो ऐसी category की steel है जिससे Tools का निर्माण किया जाता है।

सन्दर्भित प्रविष्टि के त्रुटिपूर्ण उल्लेख होने के कारण आदेश में टूल्स को आयरन एवं स्टील की प्रविष्टि में माना लिया गया है। यह त्रुटि अभिलेख से स्पष्ट है।

2. उपरोक्त आधार पर आदेश को उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-31 में संशोधन हेतु नोटिस दी गयी। नोटिस तामील है किन्तु कोई उपस्थित नहीं हुआ। अत: उपलब्ध तथ्यों एवं विधिक व्यवस्था के अनुसार निर्णय लिया जायेगा।

3. तथ्यों का परिशीलन किया गया। उक्त परिप्रेक्ष्य में निम्न तथ्य विचारणीय हैं :-

केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-14 की उपधारा (iv) के क्लाज (ix) में निम्न प्रविष्टि है:-

'' tool, alloy and special steels of any of the above categories. "

.....2

उक्त प्रविष्टि का अर्थ यह है कि इसमें tool, alloy तथा उपरोक्त क्लाजों में वर्णित स्पेशल स्टील्स को समाहित किया गया है । tool steel वह स्टील है जिससे Tools का निर्माण किया जाता है । tool alloy steel के सम्बन्ध में Department of Economic Affairs, Government of India द्वारा परिपत्र संख्या-4 (2) S.T. / 58 द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि ‘‘ Originally tool alloy steel is that steel, mixed with some other metals, from which tools are generally made. For instance, stainless steel, high speed steel, oil-hardening non-shrinking steel, carbon tool steel, chisel steel, high-carbon high chromium steel, chromium steel, oil steel, W.P.S. steel, spring steel, etc. are all tool alloy steel. ’’

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि उक्त क्लाज में tool शब्द का जो प्रयोग किया गया है वह निर्मित tool के लिए नहीं है अपितु यह Tool Steel के लिए प्रयोग किया गया है जो ऐसी category की steel है जिससे Tools का निर्माण किया जाता है ।

Pradeep Agarbatti vs. State of Punjab 1997 (96) ELT 219 के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Noscitur a sociis के सिद्धान्त के सम्बन्ध में निम्न टिप्पणी की गयी है :-

‘‘ Entries in the Schedules of Sales tax and Excise statutes list some articles separately and some articles are grouped together. When they are grouped together, each word in the Entry draws colour from the other words therein. This is the principle of noscitur a sociis. ’’

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2008 के Schedule-II Part-A की प्रविष्टि संख्या-123 निम्नवत है :-

‘‘ 123-Tools, Aari and kanni used by carpenter and masons. "

‘‘ 123- उपकरण, आरी एवं कन्नी जो बढ़ई एवं राज मिस्त्री के द्वारा प्रयोग की जाती है । "

ज्ञातव्य है कि उक्त प्रविष्टि को शासन द्वारा अधिसूचना संख्या-क0 नि0-2-67 / ग्यारह.........दिनांक 10.01.2008 द्वारा पूर्वगामी प्रभाव से अर्थात 01.01.2008 से प्रभावी किया गया है । मूल रूप से इसके पूर्व यह प्रविष्टि निम्नवत थी :-

‘‘ 123-Tools "

‘‘ 123- उपकरण "

उक्त प्रविष्टि से स्पष्ट है कि वर्तमान में उपर्युक्त प्रविष्टि संख्या-123 के अन्तर्गत केवल वही टूल्स समाहित हैं जो बढ़ई या राज-मिस्त्री के द्वारा प्रयोग किये जाते हैं । ऐसे टूल्स पर 4% + यथा अतिरिक्त कर की दर से करदेयता स्वत: स्पष्ट है । इसी रूप में इस प्रविष्टि को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा Noscitur a sociis के सिद्धान्त के सम्बन्ध में उपर्युक्त टिप्पणी के परिप्रेक्ष्य में पढ़ा व समझा जा सकता है ।

4. उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 के आदेश दिनांक 17.01.2014 के प्रस्तर-5 में अंकित यह व्यवस्था कि केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम, 1956 की धारा-14 की उपधारा-(IV) के क्रमांक-09 पर ‘ टूल्स ’ की प्रविष्टि है, सही तथ्यों पर आधारित नहीं है एवं त्रुटिपूर्ण है । यह त्रुटि उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-31 में संशोधन योग्य है ।

अत: आदेश के प्रस्तर-5 में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था दी जाती है कि केवल बढ़ई तथा राज-मिस्त्री द्वारा प्रयोग किये जाने वाले टूल्स पर ही 4% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता है। शेष अन्य किसी प्रकार के टूल्स पर उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की अनुसूची-V के अन्तर्गत अवर्गीकृत वस्तु की भाँति 12.5% + विधि अनुसार अतिरिक्त कर की दर से करदेयता होगी।

उत्तर प्रदेश वैट अधिनियम, 2008 की धारा-59 का आदेश तदनुसार संशोधित किया जाता है।

5. उपरोक्त की एक प्रति प्रार्थी, कर निर्धारण अधिकारी व कम्प्यूटर में अप लोड करने हेतु मुख्यालय के आई0 टी0 अनुभाग को प्रेषित कर दी जाय।

दिनांक 23 अप्रैल, 2014

ह0 / 23.04.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।